उत्तर मध्य रेल
North Central Railway

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक
Office of
Divisional Railway Manager Personnel
Prayagraj

No. E/Misc/EG-II/Re-engagement/GSU/ 2024, Date:-22.08.2024

NOTIFICATION

Sub : Re-engagement of retired staff on monthly remuneration basis in exigencies of services for Gati Shakti Unit (GSU) Prayagraj Division.

In terms of Railway Board's Letter No.2021/W-1/Genl./Gati Shakti dated 27.07.2022 it has been decided to fill up the following posts in GSU , Prayagraj Division by re-engagement of Staff, who have retired fromRailways.

Therefore Applications are invited from retired Staff of Railway, who full fills the following terms & conditions.

Locations	SSE(P-Way) Dy CPM/GSU	Ch.OS/Engg. Dy CPM/GSU	CLA/Ch.OS DyCE-II/GSU	SSE/Sig. Dy.CSTE/GSU	SSE/Tele. Dy.CSTE/GSU
CAR	01	-	-	-	-
PRYJ	01	01	01	02	-
CNB	01	-	-	-	-
ALJN	-	-	-	-	01
Total	**03**	**01**	**01**	**02**	**01**
GrandTotal	08				

23/08/24

The following terms and conditions may kindly be noted

****

1. The Re-engagement will be valid for a period of one year from the date of engagement and will be extended time to time as per administrative requirements.
2. Only Employees of Railways who have retired due to superannuation and is from the same category and same department for which notification is issued are eligible to apply.
3. Retired employees from Prayagraj division will be given preference because they are familiar with working style of the division.
4. Age limit is 64 year & 06 months up to last date for application. No age relaxation will be considered. The re-engagement shall not be beyond attaining the age of 65 years.
5. The Administration is at liberty to terminate the services of the re-engaged employees even before completion of his term in case their work/ conduct is found unsatisfactory by giving a notice of 7 days. The re-engaged retired staff should given a notice of 7 days before discontinuing his services.
6. The employees who have been LARSGESS/ Removed/Dismissed/Compulsory retired from service as a result of disciplinary action or Periodical review & voluntary retired from service are not eligible for re-engagement.
7. The re-engaged employees are entitled only for monthly fixed remuneration i.e reducing pension from his/her last pay drawn, (i.e. Basic+DA) at the time of retirement. The monthly fixed remuneration plus full pension shall not exceed the last pay drawn at the time of retirement.
8. The Re-engaged employee will not be eligible for any kind of leave (like CL, LAP, Sick Leave etc). For absence if any, appropriate deduction from salary/wages will be made from the monthly remuneration.
9. The re-engaged employees are not entitled for any other benefit or facilities except the monthly fixed remuneration.
10. The re-engaged employees shall execute an agreement to abide by all the terms and conditions of the re-engagement.
11. Re-engagement shall be subject to prescribed medical fitness for the relevant Category.
12. Suitability/Competency of the applicant shall be adjudged by nominated committee by the way of personal interview before their re-engagement.
13. The duty hours of the re-engaged employees would be 8 hrs duty or as required. The duty Can be changed as per the requirement of works by the administration with weekly off for one day.
14. Self attested copy of the following documents should be attached with the application & it is Mandatory.
    - (a) Service certificate
    - (b) Pensioner Identity Card
    - (c) Pension Payment Order
15. The last date for submission of the application is 12.09.2024. at 06.00 PM, Retired employees of PRYJ Division who desires to apply against the post notified for re-engagement may drop their duly filled in applications in the prescribed format at Annexure-A should be dropped in the box kept in EG-II Section of this office on or may send by speed post to

Sr. DPO
Divisional Railway Manager's Office
Nawab Yusuf Road, Civil Lines, Prayagraj,
Uttar Pradesh, PIN- 211001.

23/08/24

6. Kindly note application received after 12.09.2024 at 06.00 PM will not entertained. This notification has been uploaded on NCR website with link as follows- www.ncr.indianrailways.gov.in→aboutus→Division→Prayagraj→Personnel→GSU

(B.D.Ahirwar)
Assistant Personnel Officer
for DRM (P) Prayagraj

Copy to:

1) - All Concerned Branch Officers of PRYJ Division for wide Publicity.

2) - EDPM Centre for uploading in website of PRYJ Division.

3)-Divisional Secretary-NCRMU, NCRES, SC/ST & OBC Association for information.

4)-Secretary-Pensioners association for information

Annexure-A

Application for re-engagement in Prayagraj Division, North Central Railway
(Under Notification No E/Misc/EG-I/Re-engagement/GSU/2024, Dated 22.08.2024)

Divisional Railway Manager (P)
Prayagraj Division
North Central Railway

Affix recent passport size colour photograph with signature, across the Photo

I hereby apply for re-engagement as in Department on Prayagraj Division, N.C.Railway on monthly remuneration basis, on terms and conditions mentioned in the said notification. My service particulars are as below.

1. Name in Capital Letter :
2. Designation at the time of retirement :
3. Department/Division/Railway from where retired :
4. Date of Birth :
5. Date of retirement :
6. Retirement on Superannuation/VRS/LARSGESS or any other retirement (specify) :
7. Address for correspondence :
8. Mobile No :
9. Last pay : (GP - ....)
10. PPO.No. Issue Date :
11. Enclosure (copy of documents) :

   a) Service Certificate
   b) Pension Identity Card
   c) Pension Payment Order

I declare that the information furnished above is true to the best of my Knowledge and I am liable for punitive action if any information found false/ incorrect. I also declare that I have gone through all the terms and conditions stipulated in the notification and I shall abide by them.

Signature of applicant

Place:

Name:

Date:

पत्रसं० : ई/विविध/ईजी-II /रिइंगेजमेन्ट/जीएसयू/2024
दिनांक:- 22.08.2024

कार्मिकविभाग
कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

विषय - गति शक्ति यूनिट (GSU) प्रयागराज मंडल के लिए सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सेवाओं की अनिवार्यता हेतु दैनिक पारिश्रमिक आधार पर रि-इंगेजमेन्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

रेलवेबोर्डकेपत्रसं 02021/W-I/ Genl/ गतिशक्ति दिनांक 27.07.2022 के द्वारा निर्णित किया गया है कि गतिशक्ति यूनिट की स्थापना के लिये सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को रि- इंगेजमेन्ट किया जाय। प्रयागराज मण्डल में गतिशक्ति के लिये रेलवे से विभिन्न विभागों के वरि.ख.अभि., मु.का.अधी., मु.विधि सहायक एवं कार्यालय सहायक संवर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से रि-इंगेजमेन्ट के लिये जो निम्नलिखित Terms & conditions पूर्ण करते हों, से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है –

Locations	SSE(P-Way) Dy CPM/GSU	Ch.OS/Engg. Dy CPM/GSU	CLA/Ch.OS DyCE-II /GSU	SSE/Sig. Dy.CSTE/GSU	SSE/Tele. Dy.CSTE/GSU
CAR	01	-	-	-	-
PRYJ	01	01	01	02	-
CNB	01	-	-	-	-
ALJN	-	-	-	-	01
Total	03	01	01	02	01
Grand Total	08				

23/08/24

रि- इंगेजमेन्ट के लिये निर्धारित शर्ते

****

1. उपरोक्त योजना रिइंगेजमेन्ट की तिथि से 01 वर्ष के लिये प्रभावी होगी जिसे प्रशासनिक आवश्यकतानुसार समय समय पर बढ़ाया जास कता है। यदि इस अवधि के अन्दर पर्याप्त संख्या में नियमित कर्मचारी उपलब्ध हो जाते है जो उक्त रि- इंगेजमेन्ट पहले भी समाप्त किया जा सकता है।
2. उपरोक्त के लिये वहीं पूर्व कर्मचारी आवेदन कर सकते है जो रेलवे से सेवानिवृत्त हुए हों। जिस पद तथा विभाग के लिये आवेदन मांगा गया है उसी पद हेतु आवेदन किया जाय। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु आवेदन करने की अंतिम तिथि से 64 वर्ष 06 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छुट का प्रावधान नहीं है।
3. प्रयागराज मंडल से सेवानिवृत कर्मचारियों को मंडल की कार्यशैली से परिचित होने के कारण उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी |
4. रि- इंगेजमेन्ट हेतु आवेदक की अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि को 64 वर्ष 06 माह से अधिक नहीं होना चाहिए और रि- इंगेज कर्मचारी को 65 वर्ष की आयु के पश्चात उसकी सेवा जारी नहीं रखा जा सकता है।
5. प्रशासन रि- इंगेजमेन्ट किये गये कर्मचारी को उनकी रि- इंगेजमेन्ट अवधि पूर्ण होने के समय के पूर्व भी उनकी सेवाओं को रि- इंगेज कर्मचारी की कार्यशैली / व्यवहार के असतोषजनक पाये जाने पर 07 दिन की नोटिस के द्वारा समाप्त करने का अधिकार रखता है। रि- इंगेज किये गये कर्मचारी की सेवा 07 दिन की नोटिस उपरान्त समाप्त की जायेगी।
6. जो कर्मचारी रेल सेवा से LARSGESS/ रिमूवल / डिसमिसल / कम्पल्सरी रिटायरमेन्ट / रिव्यू के अंतर्गत अथवा अनुशासनात्मक कर्यवाही के अंतर्गत निकाले गये है वह इस योजना के पात्र नहीं है।
7. रि- इंगेज किये गये कर्मचारी को निश्चित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा अर्थात कर्मचारी सेवानिवृति के समय जिस मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता को प्राप्त कर रहा था उसमें से पेंशन एवं महगाई राहत को घटाने के पश्चात अवशेष राशि का भुगतान किया जायेगा। निश्चित मासिक पारिश्रमिक तथा पेंशन किसी भी अवस्था में सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त किये गये भुगतान से अधिक नहीं होगा।
8. रि-इंगेज किया गया कर्मचारी किसी भी प्रकार की छुट्टी जैसे आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश अथवा बीमारी छुट्टी इत्यादि का पात्र नहीं होगा। यदि कोई अनुपस्थिति होती है तो मासिक पारिश्रमिक नियमानुसार कटौती की जायेगी।
9. रि-इंगेज कर्मचारी निश्चित मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार के लाभ का पात्र नहीं होगा।
10. रि-इंगेज कर्मचारी नियम एवं शर्तों के लिये एक अनुबन्ध पत्र उपलब्ध करायेगा।
11. रि-इंगेज कर्मचारी को पद के सापेक्ष निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में फिट होना अनिवार्य है।
12. आवेदनकर्ताओं का रि-इंगेजमेन्ट नामित कमेटी द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
13. रिइंगेज कर्मचारियों की कार्य अबधि 08 घण्टे या आवश्यकतानुसार होगी। प्रशासनिक आवश्यकतानुसार कार्य को बदला भी जा सकता है। साप्ताहिक अवकाश 01 दिन का होगा।
14. आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज स्वयं से प्रमाणित कर आवेदन के साथ भेजें।

    (i) सेवाप्रमाणपत्र

    (ii) पेंशनरपहचानपत्र

    (iii) पी०पी०ओ०

15. आवेदनपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 12.09.2024 समय 18:00 बजे है। इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन मण्डल कार्यालय के कार्मिक विभाग के EG-II अनुभाग में रखे बाक्स में डालें अथवा निम्न पते पर डाक द्वारा प्रेषित करें :-

    वरि० मण्डल कार्मिक अधिकारी
    मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय (कार्मिक शाखा)
    उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज
    नवाब यूसफ रोड, सिविल लाईन्स
    प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
    पिन कोड नं. 211001

23/08/24

16. यदि दिनांक 12.09.2024 समय 18:00 बजे के पश्चात डाक के माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से आवेदन प्राप्त होगा तो उसे संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। यह नोटिफिकेशन एन.सी.आर. की वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है जहाँ इस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है–

www.ncr.indianrailways.gov.in→about us→Division →Prayagraj→ Personnel→GSU

23/08/24

(बी. डी. अहिरवार)
सहायक कार्मिक अधिकारी
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

प्रतिलिपि :-

1. सर्व सम्बन्धित शाखा अधिकारी, प्रयागराज मण्डल को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

2. ई.डी.पी.एम. प्रयागराज एन.सी.आर. प्रयागराज मण्डल की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

3. मण्डल सचिव एन.सी.आर.ई.एस. / एन.सी.आर.एम.यू. / एस.सी.एस.टी. एवं ओ.बी.सी. एसोशिएशन प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।

4. सचिव, पेंशनर एसोशिएशन प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।